राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोपाल / चिरंजीलाल

तारीख हुक्म	263/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/8/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद बटवारे का है , जिसमे पक्षकारान विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है किन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सुनवाई का अवसर दिये बगैर इकतरफा में पारित आदेश जैर अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी एवं इस अपील के अपीलार्थी को उनकी खाते की आराजी के उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित फरमा दिया गया है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है, ऐसेमें यदि अधीनस्थ न्यायालय को यह आवश्यक प्रतीत होता तो उसे यह आवश्यक व न्यायसंगत था की वे दोनों पक्षों को यथास्थिति हेतु पाबन्द फरमाता किन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर मात्र अप्रार्थी/अपीलांट को मात्र उसके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग हेतु पाबन्द किया गया है, वह न्यायसंगत प्रतीत नही होता है चूँकि अपील इस स्टेज पर दोनों पक्ष उपस्थित है, अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे उनके समक्ष नियत आगामी तिथि की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष की समुचित सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्वत निस्तारण करे । तब तक आदेश जैर अपील दिनांक 24/07/2020 का प्रभाव दोनो पक्षों पर रहेगा । तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आगामी नियत दिनांक 24/08/2020 को इस आदेश की प्रति सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे । पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 06/08/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर